उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-10/5416/92-2014-89जांच/2014,

लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0 13125, यू0पी0 13126 एवं यू0पी0 13131 के लिये अनुबन्ध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर, सत्यापन कार्य में असाधारण विलम्ब कर, शासकीय कार्यो में स्वेच्छाचारिता बरतने आदि अनियमितताओं के लिये श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी सम्प्रति ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, रायबरेली, जिनके विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/5339/92-2014-89जाँच/2014, दिनांक 12-01-2015 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निलम्बन की अवधि में श्री अशोक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्व रहेंगे।

2- निलम्बन की अवधि में श्री अशोक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन-निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री अशोक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/5416(1)/92-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।

6- श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी (सम्प्रति निलम्बित) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in